

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा जारी परिपत्र संख्या-65/39/2018-DOR दिनांकित-14.09.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर अधिष्ठान के प्रयोगार्थ क्रय किये जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती करते हुए जी.एस.टी. का भुगतान इस न्यायिक अधिष्ठान द्वारा किया जाना है। जी.एस.टी. का भुगतान किये जाने से पूर्व इस न्यायिक अधिष्ठान का जी.एस.टी. पंजीकरण कराये जाने एवं जी.एस.टी. रिटर्न भरने हेतु Tax Consultant/C.A. की सेवा प्राप्त करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

अतः इच्छुक Tax Consultant/C.A./फर्म दिनांक- 14.09.2026 सायं 04:00 बजे तक अपना कोटेशन नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक:-07.09.2026

(पवन कुमार शुक्ला),

अध्यक्ष वित्तीय एवं क्रय समिति/

प्रथम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

प्रभारी अधिकारी(नजारत)

जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. नाजिर, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. नगर पालिका परिषद, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. कार्यालय जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. तहसील अकबरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. रेलवे स्टेशन, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
7. बस स्टेशन, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
8. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ कि उक्त प्रति माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय के पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाये।

दिनांक:-07.09.2026

(पवन कुमार शुक्ला),

अध्यक्ष वित्तीय एवं क्रय समिति/

प्रथम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

प्रभारी अधिकारी(नजारत)

जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर।